भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

प्र.क. आर–   –पी.बी.आर. / 2015

प्रस्तुती दिनांक   / 11 / 2015

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

म.प्र. के समक्ष

(11)

नि0 / 3651 – PBR – 15

ऊँकारलाल पिता श्री रूग्गाजी जाति कुलमी,

निवासी – ग्राम बड़ोदिया तहसील सरदारपुर

जिला धार म.प्र. .... प्रार्थी / निगरानीकर्ता

पी. टी. गुप्ता/Adv. आज दि 7-11-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 7-11-15

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. शांतिलाल पिता श्री रणछोड़ जाति कुलमी

निवासी – ग्राम बड़ोदिया तह. सरदारपुर जिला धार .... विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

7-11-15

मान्यवर महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा रा.प्र.क. 71 / अ–12 / 2012–13 में प्रस्तुत प्रतिवेदन, सीमांकन पंचनामा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3651-पीबीआर/2015 **जिला धार**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसीलदार सरदारपुर जिला धार के सीमांकन प्र. क्र. 71/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामें के आधार पर आदेश करने में त्रुटि की है तथा किये गये सीमांकन में पड़ोसी कृषकों की भूमि का कोई उल्लेख नहीं है एवं आवेदक को बिना सूचना दिये एकपक्षीय सीमांकन किया गया । उनके द्वारा विधिनुसार सीमांकन नहीं होने से सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को नोटिस की तामीली नहीं कराई गई है । आवेदक की अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत् नहीं माना जा सकता है । सीमांकन के नक्शे में आवेदक के कब्जे के क्षेत्र को स्पष्ट नहीं दर्शाया गया है अत: इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुन: सीमांकन कार्यवाही किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसीलदार सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-6-2014 निरस्त किया जाता है । उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में पुन: सीमांकन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है । अध्यक्ष	